राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांकः– मुसप्र / 2020 / 703 दिनांकः– 9/10/2020

कार्यालय आदेश

मण्डल द्वारा दिनांक 01–07–2019 के पश्चात् जो भी आवासीय सम्पत्तियां खुली बिक्री योजना अथवा बुधवार नीलामी के तहत सील बन्द नीलामी के माध्यम से बेची गई हैं, उनके आवंटियों / क्रेताओं जो कि कोराना संक्रमण काल से उत्पन्न आर्थिक कठिनाई के कारण एक मुश्त भुगतान नहीं कर पा रहे है, उन्हें वर्तमान 156 मासिक किश्त आधारित योजना का लाभ दिये जाने का निर्णय लिया गया। इस सम्बन्ध में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र / 2020 / 293 दिनांक 14–07–2020 के द्वारा दिनांक 01–07–2019 के बाद के उक्त प्रकार के प्रकरणों में प्रकरणवार तथ्यों के आधार पर अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल के स्तर से निर्णय कराये जाने का निर्णय लिया गया।

मण्डल के संचालक मण्डल की 243 वीं बैठक दिनांक 21–09–2020 में निर्णय की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्ताव संख्या 243.10 रखा गया। बैठक में प्रस्तावानुसार कोरोना संक्रमण काल से उत्पन्न हुई विषम परिस्थितियों के कारण एक मुश्त भुगतान नहीं कर पा रहे आवंटियों / क्रेताओं को प्रकरणवार अध्यक्ष महोदय के स्तर पर वर्तमान 156 मासिक किश्त पर आधारित योजना का लाभ दिये जाने हेतु लिए गये निर्णय की पालना में कार्योत्तर स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

ORS ⇒ HPS

(पवन अरोड़ा)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ :–

1. निजी सचिव–अध्यक्ष / आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव–सचिव / वित्तीय सलाहकार / निदेशक विधि / मुख्य राजस्व अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता–प्रथम / द्वितीय / मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम / द्वितीय / तृतीय, रा0 आ0 मा0, जयपुर / जोधपुर।
5. अति0 निजी सचिव–मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा0आ0म0 जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त (मुख्यालय), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत–..........................राजस्थान आवासन मण्डल, ...
8. आवासीय अभियन्ता, खण्ड–.................................., रा0आ0म0, ...
9. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवायें व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त / आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
10. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), रा0आ0मं0, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक

D/DRB/OFFICE ORDER